आदेश	कार्यवाही विवरण
24/3/2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप०। बहस प्रा०पत्र पर समय की गई। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 25/3/2022 को पेश हो। [signature]
25.3.22	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। बहस के दौरान प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि दावा मु०नं० 502/15 की पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी संख्या 8040/18 दिनांक 12.11.18 के आदेशानुसार पत्रावली सं० 92/07 व 275/12 के साथ तलब की गई थी। उक्त आदेशानुसार अन्य पत्रावली 92/07 व 275/12 राजस्व मण्डल अजमेर जा चुकी है लेकिन पत्रावली मु०नं० 502/15 सहवन से रह गई। उक्त पत्रावली के यहां रहने का ज्ञान वादी को नहीं था और न ही तारीख पेशी का ज्ञान था। इस कारण उक्त पत्रावली दिनांक 16.4.19 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गई। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वादी/प्रार्थी का वाद गोरु बनाम रामेश्वर आदि मु०नं० 502/15 को पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रार्थी/वादी को अग्रिम कार्यवाही करने की आज्ञा प्रदान करें। पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दावा मु०नं० 502/15 अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में दिनांक 16.4.19 को खारिज हो चुका है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की निगरानी संख्या 8040/18 दिनांक 12.11.18 द्वारा उक्त पत्रावली तलब की गई थी लेकिन सहवन से यहां रहने व वादी/प्रा[illegible] रहने का ज्ञान न होने के कारण दिनांक 16.4.[illegible] अदम हाजरी एवं अदम [illegible] में खारिज [illegible] है। प्रकरण का गुणावगुण पर [illegible] प्रार्थी/वादी को सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी/वादी का वाद उनवाली गोरु बनाम रामेश्वर वगैरह मु०नं० 502/15 को पुनः नम्बर पर लिया जाना उचित है। [signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:33:51 IST
Reason: SelfAttested

कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
आदेश प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ. आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 CPC साबित होने से स्वीकार किया जाता है तथा वादी/प्रार्थी का वाद उजवानी गोरा बनाम रामेश्वर आदि मु.नं. 502/15 में पारित आदेश अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारीज दिनांक 16.4.19 को अपास्त किया जाता है तथा उक्त वाद मु.नं. 502/15 को पुनः नम्बर पर लिया जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा इस वाद के संलग्न रहे। 25/3/22	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:33:51 IST
Reason: SelfAttested